रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223269
SG-DL-E-24112020-223269

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204
No. 256]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942	[N. C. T. D. No. 204

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य संरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सं.फा. डीओएफएस–103(12)/1/2015–प्रशा0 शाखा/4242.–4248.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली राजपत्र भाग–4 में प्रकाशित दिनांक 29 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना सं0 फा0 2 (47)/78–से0–II/ के अनुसार उपविधि सलाहकार के पद की भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''**उप विधि सलाहकार**'' के पद के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त भीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग **उप विधि सलाहकार** भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**उप विधि सलाहकार**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (एक) (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 11 (67700–208700/–रूपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) 6 (क) महत्वपूर्ण विवरण आयु सीमा निर्धारण के लिये अंतिम तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः**– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री **(II) अनुभवः** केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त/साविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय या सूचीबद्ध कंपनियां या विधि फर्म या लीगल प्रैक्टीशनर के रूप में या विधिक कार्य में पांच वर्ष का अनुभव **(III) वांछनीय :** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल0एल0एम0 (ii) **अनुभवः** लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयुः लागू नहीं शैक्षणिक योग्यताएः लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	एक वर्ष **अभ्युक्ति** : सीधी भर्ती हेतु
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान /स्वायत्त निकाय /सांविधिक संगठन के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (I) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा क (II) स्तर–9 (53100–167800/–रुपये) / स्तर–10 (56100–177500/रूपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित; अथवा मूल संवर्ग विभाग में समकक्ष तथा इस भर्ती नियम के कॉलम 07 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले

			(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**स्थाईकरण के लिए ''क'' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति** (i) प्रधान सचिव/सचिव (स्वा एवं परि० कल्या०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (ii) विशेष सचिव (स्वा एवं परि० कल्या०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (iii) विभागाध्यक्ष जब तक वह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय बिष्ट, उप–सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2020

No. DOFS-103(12)/1/2015-Admn. Br/4242-4248.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968, and in supersession of the Recruitment Rules to the post of Deputy Legal Advisor vide notification No. F.2(47)/78-S-II/ dated 29th November, 1980, published in the Delhi Gazette Part-IV except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to the post of **"Deputy Legal Advisor"** in the Department of Food Safety, Govt. of National Capital Territory of Delhi.

1. **Short title and commencement-** (i) These rules may be called "Department of Food Safety, Deputy Legal Advisors Recruitment Rules, 2020.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of post, its classification and Level in the Pay Matrix / Scale of pay**- The number of said posts, their classification and Level of Pay Matrix/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.-** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications :**- No person-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;-

   shall be eligible for appointment to the said post:-

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax**- Where the Government is opinion that necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in the writing, relax and of the provision of these rules with the respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection post / non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Deputy Legal Advisor	01 (One) (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	**LEVEL-11** Rs. 67,700 - 2,08,700/-	Not applicable	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with / instructions issued by Central Government. **6(a) Crucial description** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
ESSENTIAL: (I) Degree of Law from a recognized university. **(II) EXPERIENCE** Five years experience in legal work for Department of Central Government /State Governments/UTs / PSU / Autonomous or Statutory Bodies / recognized institutes/ recognized universities, **OR** listed companies **OR** Law firm **OR** as a legal practitioners **(III) DESIRABLE** (i) LLM from a recognized university. **Experience:** Not applicable	**Age** NA **Educational Qualifications-**NA	One year **Remark** : For Direct Recruits	**Method** Deputation including Short Term Contract failing which by Direct Recruitment **Percentage** 100%

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
DEPUTATION (Including Short Term Contract) Officers under Central Government / State Governments/ Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Recognised Universities/recognisedresearch institutions/Autonomous bodies/ Statutory Organisations:. (A)(I) Holding analogous post on regular basis in the parent cardre / department;	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee for confirmation**. (i) Principal Secretary / Secretary (H&FW) Government of National Capital Territory of Delhi. (ii) Special. Secretary (H&FW) Government of National Capital Territory of Delhi. (iii) Head of Department, unless he/she is ex-officio secretary in the Department, Government of National Capital Territory of Delhi	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

OR (A)(II) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level – 9 (Rs. 53,100-1,67,800) / Level-10 (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department **AND** (B) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment under Column . (7). The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications		

By Order and in the Name of
the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi
AJAY BISHT, Dy. Secy. (H&FW)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM